भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3369

उत्तर देने की तारीख- 12.03.2026

बनासकांठा, गुजरात में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे

3369. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बनासकांठा जिले में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत श्रेणी-वार कितने दावे दायर किए गए तथा कितने अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार को जिले में भूमि अधिकारों के संबंध में वन अधिकारियों और जनजातीय समुदायों के बीच टकराव की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावों के अंतिम निपटान से पहले बेदखली या विध्वंस की कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध जवाबदेही तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों की आजीविका, गरिमा और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क): गुजरात राज्य सरकार द्वारा (31 जुलाई 2025 तक) दी गई जानकारी के अनुसार, बनासकांठा जिले में ग्राम सभा स्तर पर कुल 10272 दावे (9488 व्यक्तिगत और 784 सामुदायिक) दायर किए गए हैं, जिनमें से कुल 7403 दावे अनुमोदित किए गए हैं (जिसमें 6619 व्यक्तिगत और 784 सामुदायिक शामिल हैं)। इसके अलावा, कुल 2869 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं और दावों की कोई अस्वीकृति नहीं है।

(ख) से (घ): गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक ऐसा प्रासंगिक मामला (घटना) सामने आया था जिसमें 1 दावेदार का क्षेत्र भी प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल था। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि यह कार्रवाई अनजाने में हुई थी और इस संबंध में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

(ङ) जनजातीय समुदायों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है जो अनुसूचित जनजाति समुदायों की आजीविका सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस दिशा में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) सहित कई योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहलें भी की हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य, जिला और उपखंड स्तरों पर समर्पित एफआरए सेलो की स्थापना करके एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एफआरए पट्टा धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं (पशुपालन विभाग, कृषि विभाग और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं से संबंधित) के लाभों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

*****